

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 06th May, 2025

NOTIFICATION

No.10-4/2024-U.3(A): Whereas, Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Avanipoor, Tindivanam, Tamil Nadu.

2. **And whereas,** UGC, vide its letter No. 40-6/2024 (CPP-I/DU) dated 27.05.2024, informed that the application was examined through a Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu with certain conditions.

3. **And whereas,** the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) to Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Avanipoor, Tindivanam, Tamil Nadu.

4. **And further whereas,** Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu submitted compliance report, which was to UGC for verification and advice. The UGC verified the compliance report and recommended for final approval in the matter.

5. **Now, therefore,** in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby permits Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu to start its off-campus at Avanipoor, Tindivanam, Tamil Nadu.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules, Regulations, directions of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Vel's

2/12/24

Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu.

पुनिक बनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Vel's Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu.
3. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Tamil Nadu.
4. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
6. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
7. Guard file / Notification file.


(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Government of India
Telephone No.23381578

(भारत के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 06 मई, 2025

अधिसूचना

सं.10-4/2024-यू.3(ए): जबकि, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु ने अवनीपुर, टिंडीवनम, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 27.05.2024 के अपने पत्र संख्या 40-6/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच एक स्थायी समिति के माध्यम से की गई। समिति ने संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कुछ शर्तों के साथ वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, अवनीपुर, टिंडीवनम, तमिलनाडु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और इसके अतिरिक्त, जबकि, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन किया और मामले में अंतिम अनुमोदन की सिफारिश की।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम,

युक्ति

चेन्नई, तमिलनाडु को अवनीपुर, टिंडीवनम, तमिलनाडु में अपना ऑफ-कैंपस शुरू करने की अनुमति देता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) तथा समय-समय पर जारी केन्द्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों, विनियमों, निदेशों में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों का पालन वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

पूजित बनर्जी

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु।
3. सचिव, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार।
4. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
6. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
7. गार्ड फ़ाइल / अधिसूचना फ़ाइल.

रंजन

(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2338 1578